# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | रामफूल बनाम कजोड<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 29/09/25 | 907/2025, 908/2025<br>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस दोनों अपील पत्रावलीयो पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की प्रोपर तामील करवाये बगैर ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/09/2022 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18/11/2019 को दावा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के नोटिस जारी किये बगैर दिनांक 15/02/2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री की अनुपालना में विवादग्रस्त भूमि के कुल 12 खसरा नम्बर में से 10 खसरा नम्बर के ही सन्दर्भ में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी है एवं शेष 2 खसरा नम्बर को छोड़ दिया गया एवं दो खसरा नम्बरान का बैचान भी कर दिया गया है। चार खातेदारों में से 2 खातेदार मृत्तक थे, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार ही नही बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री मौके पर कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुये सरस-नरस के आधार पर पारित की गयी परन्तु तहसीलदार आंधी के द्वारा रेस्पो. संख्या 1 को नाजायज लाभ पहुचाने के उद्धेश्य से खसरा नम्बर 161, 160 की सम्पूर्ण भूमि की कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी, जबकी अपीलार्थीगण व प्रारूपिक प्रतिवादीगण का भी खसरा नम्बर 160, 161 पर अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है तथा खसरा नम्बर 161 व 160 की भूमि के दक्षिणी दिशा व पश्चिमी दिशा की तरफ मुख्य सड़क है, जिसका अन्य भूमि से अधिक मूल्य है, परन्तु उक्त सम्पूर्ण भूमि रेस्पो. को कुर्रेजात रिपोर्ट में दी गयी है एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2024 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर अपीलार्थी की अनुपस्थिति में रेस्पो. संख्या 1 को नाजायज लाभ पहुचाने की गरज से कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री विवादग्रस्त भूमि कुल किता 12 कुल रकबा 7.91 हैक्टेयर के सम्बन्ध में पारित की गयी थी परन्तु अन्तिम निर्णय व डिक्री कुल किता 10 रकबा 6.63 हैक्टेयर अर्थात खसरा नम्बर 278 रकबा 1.00 हैक्टेयर व 280 रकबा 0.28 | |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामफूल बनाम कजोड

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 907/2025, 908/2025 | | |

हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.28 हैक्टेयर के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित नही किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क़ानूनी त्रुटी कारित की है | तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने से पूर्व किसी पक्षकार को नोटिस/सूचना नही दी गयी | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी कुर्रेजात रिपोर्ट अपीलार्थी की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है, किन्तु इस तथ्य पर गौर नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक़ कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2024 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की गयी है | अत: दोनों अपीले स्वीकार फरमाई जावे |

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान की प्रोपर तामील करवा कर उनके अनुपस्थित रहने पर सही रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसकी अनुपालना में मीट्स एण्ड बाउन्ड्स रास्ते की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुये तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात तैयार किये गये, जिसमे अपीलार्थी की भूमि में आने-जाने हेतु रास्ता कॉमन छोड़ा गया है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों का संज्ञान लेकर अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी नही है | अपीलार्थी द्वारा केवल विभाजन को लम्बित रखने हेतु अपीले प्रस्तुत की गयी हैं जिसमे कोई सार नही होने से दोनों अपीले ख़ारिज फरमाई जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/02/2022 में कोई विधिक त्रुटी जाहिर नही होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | जहाँ तक कुर्रेजात रिपोर्ट एवं उसके आधार पर पारित अंतिम निर्णय व डिक्री का प्रश्न है तो इस सन्दर्भ में कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि कुर्रेजात एवं उसके आधार पर पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया विभाजन मीट्स एण्ड बाउन्ड्स यानि अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर किया जाना प्रकट नही होता है जबकी सहखातेदारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाना आवश्यक होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2024 निरस्त किये जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | रामफूल बनाम कजोड<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 907/2025, 908/2025 | |

प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर बाद प्राप्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्राप्त आपत्तियो का बाद सुनवाई विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील सख्या 907/2025 ख़ारिज की जाती है एवं अपील संख्या 908/2025 स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर